



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक./नि.वि.1/स.4/DAGE/का.आ./199

दिनांक. ~~29.03.2022~~

31.03.2022

कार्यालय आदेश

प्रधान महालेखाकार (ले/ह)- प्रथम, म.प्र. के आदेश दिनांक 28.03.2022 के अनुसार संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा प्रथम भाग का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

स. क्र.	दिनांक, दिन तथा समय	प्रश्नपत्र	विषय
1.	25.04.2022; सोमवार प्रातः 10.30 बजे से 1.00 बजे तक	प्रथम	निबंध संक्षेपिका तथा प्रारूप व्याकरण
2.	26.04.2022; मंगलवार प्रातः 10.30 बजे से 1.00 बजे तक	द्वितीय	प्रारंभिक लेखाकर्म
3.	27.04.2022; बुधवार प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक	तृतीय	लोक निर्माण कार्य लेखा और प्रणाली (प्रायोगिक)
4.	28.04.2022; गुरुवार प्रातः 10.30 बजे से 12.00 बजे तक	चतुर्थ	लोक निर्माण कार्य लेखा और प्रणाली (Theory)
5.	29.04.2022; शुक्रवार प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक	पंचम	सामान्य लेखा कोषालय एवं वित्तीयनियम (केंद्र एवं राज्य दोनों)

परीक्षा स्थल :- मनोरंजन संस्था कक्ष (भूतल) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल।

परीक्षा में बैठने की पात्रता के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के ध्यान C.P.W.A. कोड के परिशिष्ट -1 अनुलग्नक 3 और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक,


M.S.O.(प्रशासन भाग-1 में संभागीय श्रेणी परीक्षा के नियमों की और आकृष्ट किया जाता है |

परीक्षार्थियों को किसी भी कारण से परीक्षा में अभ्यर्थिता आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगा |

इस विषयक M.S.O. प्रशासन भाग 1 में दिए गए आदेश इस प्रकरणों में यथावत लागू होगी |

मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 10 of 2022 दिनांक 24.03.2022 के अनुसार इस परीक्षा में Question Paper old pattern के अनुसार ही होंगे |

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार (ले/ह) प्रथम: म.प्र. के आदेश दिनांक 28.03.2022)



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ नि.वि.1

क्रमांक./नि.वि.1/स.4/DAGE/का.आ./ D-2200

दिनांक. ~~29.03.2022~~
31.03.2022

प्रति

1. संबंधित परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल.
2. संबंधित कार्यपालन यंत्री.


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ नि.वि.1